

Court No. 22/2026

तारीख हुक्म

न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी  
एफ आई आर संख्या 396/2025  
सलीम बनाम अज्ञात  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

दिनांक 21.01.2026

अभियोजन अधिकारी ने थाना सदर बून्दी की एफआईआर सं. 396/2025, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिम में पेश किया है। जिस पर कार्यालय की रिपोर्ट ली गई। बाद कार्यालय रिपोर्ट एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफ.आर. दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी सलीम आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिसने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही है।

इस पर एफ.आर. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी की तहरीर पर थाना सदर बून्दी में एफ.आई.आर. सं. 396/2025, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज हुई थी। जिसमें बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिम में पेश हुई है। सुना गया। एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अंतिम प्रतिवेदन में अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण अनुसंधान किया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. स्वीकार की जाती है। केस डायरी पी.ओ. को लौटावे।

पत्रावली वास्ते फेसल आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत मे दिनांक 14.03.2026 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बून्दी (राज०)

14/03/26

यह पत्रावली माल राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। पत्रावली फेसल आदेश हेतु रखी गई। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है पत्रावली फेसल नुमांदा होकर बाद तफतील दाखिल अभिलेखागार हो।

अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच नं०.....

सदस्य

प्रकरण के अन्तर्गत  
कोई कार्यवाही  
नहीं जा रही  
दलील  
2/475